प्र-8

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प नेवरी

पीठासीन अधिकारी :— श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 71 / 2018

वादी

बनाम

प्रतिवादी

श्रवणसिंह उर्फ हड़मतसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजपुरोहित तिरसीगड़ी सोढा।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत 88 घोषणा RTA

निर्णय

दिनांक : 22.05.2018

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कनाना तहसील पचपदरा के खसरा नम्बर 419,423,420,421,424,428 व 429 में मेरा नाम रजिस्ट्री टंकण के समय हड़मतसिंह लिख दिया गया जिससे नामान्तरकरण भी इसी नाम से दर्ज किया गया जबकि मेरा सही नाम श्रवणसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजपुरोहित साकिन तिरसीगडी सोढा इसी प्रकार मेरे पिता का नाम अर्जुनसिंह पुत्र छतरसिंह दर्ज किया गया जबकि सही नाम दुर्जनसिंह पुत्र छतर सिंह है। हमारे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि सभी परिचय पत्र श्रवणसिंह व दुर्जनसिंह के नाम बने हुये है। हमे कृषि कार्य, भूमि सुधार,ऋण प्राप्त करने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है खातेदारी भूमि व परिचय पत्रों में एक रुपता व सही नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। अतः हड़मतसिंह के स्थान पर श्रवणसिंह व अर्जुनसिंह के स्थान पर दुर्जनसिंह नाम दर्ज कर शुद्ध नाम दर्ज करने की कृपा करावे।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड व जमाबन्दी तिरसीगडी सोढा पेश की तथा सह खातेदार रुप कंवर व गवाह दुर्गसिंह के ब्यान करवाये गये तथा ग्राम पंचायत नेवरी से प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें सही नाम अंकित किये हुये है। जमाबन्दी संवत 2070—2073 मौजा ग्राम तिरसीगडी सोढा में खातेदार दुर्जनसिंह पुत्र छतरसिंह दर्ज है। सरपंच के प्रमाण पत्र से जाहिर है कि अर्जुनसिंह व दुर्जनसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है तथा हड़मतसिंह व श्रवणसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है तथा दुर्जनसिंह उर्फ अर्जुनसिंह के श्रवणसिंह उर्फ हड़मतसिंह एकलोता पुत्र है। परिचय पत्रों मे श्रवणसिंह पुत्र दुर्जनसिंह नाम दर्ज है। खातो मे एक रुपता लाने व सही नाम दर्ज करने व राजस्व लोक अदालत की भावना से मजमे आम में पूछताछ की गई जिसमें सही नाम दुर्जनसिंह व श्रवणसिंह होना जाहिर किया व बताया गया कि दुर्जनसिंह व अर्जुनसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा श्रवणसिंह व हड़मतसिंह एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति के दो नाम है परन्तु परिचय पत्र कार्ड दुर्जनसिंह व श्रवणसिंह के ही बने हुये है। तथा श्रवणसिंह बालिक होने से पूर्व में दर्ज नाबालिग इन्द्राज हटाया जावे।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार करने योग्य होने से वादी वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कनाना खसरा नंबर 419,423,420,,421,424,428 व 429 में खातेदार अर्जुनसिंह के स्थान पर दुर्जनसिंह पुत्र छतरसिंह व हडमतसिंह के स्थान पर भवानीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह शुद्ध नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किये जाते है तथा नाबालिग इन्द्राज हटाया जावे। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे डिग्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नेवरी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
पीठासीन अधिकारी [illegible] 2018
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
बालोतरा कैम्प नेवरी

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा